राजस्थान–सरकार
तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर।

क्रमांक :– एफ–5(84)प्राशिनि/ई–1/सी–1/ दिनांक :–

–: आदेश :–

प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 06–02–2013 को सम्पन्न हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुसरण में राज्य सरकार के द्वारा जारी पत्रांक प.8(29) त.शि./2003 पार्ट–I दिनांक 09–04–2013 की अनुपालना में पोलिटेक्निक महाविद्यालय के शिक्षकों के छठे AICTE वेतनमान एवं CAREER ADVANCEMENT SCHEME के तहत उत्पन्न विसंगतियों का निराकरण करते हुये वेतन नियतन हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :–

I- AICTE वेतनमान विशिष्ट वेतनमान है। जो विशिष्ट योग्यता के साथ ही देय हैं। 1999, 2001 तथा 2010 के संशोधित वेतनमान नियमों में इसी आधार पर नियम 12, 12 एवं 20 के प्रावधान रखे गये हैं। ये वेतनमान न्यूनतम योग्यता, भर्ती के तरीके एवं अन्य शैक्षणिक मानदण्डों को पूरा करने की शर्त पर जारी किये गये हैं। 2010 के सेवा नियमों का नियम 42 का दूसरा परन्तुक तकनीकी शिक्षा सेवा नियम, 1973 के नियमों में देय लाभ को संरक्षित करता है। 1973 के नियमों में वेतन भत्तों के लिये प्रावधान नियम 36 में दिये गये हैं। जिसके अनुसार वेतन भत्तों का निर्धारण राजस्थान सिविल सर्विसेज (रिवाईज्ड पे स्केल) रूल्स, 1998 एवं उसमें समय समय पर किये गये संशोधनों के अन्तर्गत है।

संशोधन के उपरान्त यह नियम राजस्थान सिविल सर्विसेज (रिवाईज्ड पे स्केल) रूल्स, 2008 हैं। अतः 01.09.1996 के बाद पदोन्नत विभागाध्यक्षों का वेतन भत्ते, RCS, 2008 के अन्तर्गत देय है। संशोधित AICTE वेतनमान नियम, 2010 का कोई नियम, 42 के प्रभाव से संरक्षित नहीं होता है।

01.09.96 के बाद पदोन्नत विभागाध्यक्षों को CAS के लाभ का विकल्प चुनने की स्थिति में 01.09.96 को इन्कमबेन्टस की हैसियत से AICTE वेतनमान के सभी लाभ देय होंगे।

जो विभागाध्यक्ष आदेश दिनांक 27.01.2011 से स्वीकृत प्रवक्ता सलेक्शन ग्रेड का विकल्प चुनते हैं तथा जिन प्रवक्ताओं/ एकेडमिक ऑफिसर्स/ए.टी.पी.ओ. /लाइब्रेरियन /पी.टी.आई को सलेक्शन ग्रेड में तीन वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। उन्हें सलेक्शन ग्रेड स्वीकृति के समय बॉण्ड के माध्यम से स्वीकार की गई शर्तों को पूरा कर लेते हैं एवं पी.बी.–4 देय तिथि को प्रवर्त AICTE एवं राज्य सरकार की

35

सभी गाईड लाईन्स को पूरा करते हैं। उनको परीक्षण उपरान्त पी.बी.–4 स्वीकृत किया जाये।

2- प्रवक्ताओं को सी.ए.एस. का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसरण में निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं :–

"For grant of CAS (Senior scale) to Lecturers of Polytechnic Colleges the condition of acquiring degree of M.Tech. is not necessary. The Lecturer who has completed 6 years of service and not possessing degree of M.Tech is eligible for grant of CAS as per existing provisions contained in Technical Education Department order No.F.8(9)T.E./2003 Pt. dated 01-09-2010. As per the existing provisions selection grade is admissible to the Lecturers who completes 5 years as Lecturer (senior scale) and also possessing degree of M.Tech."

राज्य सरकार के पत्रांक प.8(29) त.शि./2003 पार्ट–I, दिनांक 09–04–2013 के अनुसार उपरोक्त निर्देशों हेतु वित्त विभाग की सहमति उनके आईडी संख्या 101300989 दिनांक 22–03–2013 द्वारा प्राप्त कर ली गई है।

(एस.के. सिंह)
निदेशक तकनीकी शिक्षा

कमांक : एफ–5(84)प्राशिनि/ई–1/सी–1/5518-64 दिनांक :2-5-2013

प्रतिलिपि :–

1. संयुक्त शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक दिनांक 09–04–2013 की अनुपालना में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. मुख्य लेखाधिकारी, तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों के अनुसार वेतन नियतन के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही शीघ्र की जाये।
3. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर/टीटीसी एवं एलआरडीसी, पोलिटेक्निक कैम्पस, जोधपुर को पालनार्थ।
4. प्रधानाचार्य,राजकीयपोलिटेक्निक महाविद्यालय ---------------/महिला पोलिटेक्निक महाविद्यालय------------------------/कार्यालयाध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर को पालनार्थ।

निदेशक तकनीकी शिक्षा